



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092020-221811
CG-DL-E-18092020-221811

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2835]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2020/भाद्र 27, 1942

No. 2835]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2020/BHADRA 27, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

का.आ. 3183(अ).—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलकाता पत्तन न्यास को स्लीपर कार्य, रेल पटरियों के नवीकरण, मरम्मत, प्रत्यावर्तन और पटरियों के बिछाने या जोड़ने के कार्य में ठेका श्रमिक के नियोजन की बाबत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 7 जुलाई, 2005 में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 959(अ), तारीख 7 जुलाई, 2005 की प्रयोज्यता से ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 25 के उप-नियम (2) के खंड (v) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्ययधीन रहते हुए 30 मई, 2020 से प्रभावी दो वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. एस-16012/03/2015-एल.डब्ल्यू]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2020

S.O. 3183(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government hereby exempts Kolkata Port Trust from the applicability of notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 959(E), dated the 7th July, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 7th July, 2005, in respect of employment of contract labour in the works of sleeper, renewal of railway tracks, repairing, restoration and laying and linking of tracks for a further period of two years with effect from the 30th May, 2020 subject to the compliance of the conditions specified under sub-clause (a) of clause (v) of sub-rule (2) of rule 25 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971.

[F. No. S-16012/03/2015-L.W]

AJAY TEWARI, Jt. Secy.